प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)
अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रमाण पत्र की संख्या
198 के प्रार्थना पत्र की संख्या

1271
20/7/17

श्री नेम सिंह सिरोही 205 गलुद

ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पति क पत्र-देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है । सम्पति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा ।

मालिक अमर सिंह पुत्र जीत राम नि जावली त० होडल पलवल

आराजी खाता नं० 18
खसरा नम्बर 582/7 कि रकबा 2.232 हे०
खसरा नम्बर 576 रकबा 0.125 हे०
मौजा खुनराज बांगर

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति हर प्रभाव डालने वाले कार्यो तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिये वर्ष 22/7/2005 से 21/7/17 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है ।

सम्पति का विवरण जेसा लेक्ष्य में दिया है ।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादन अलटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
मौजूदा रिकार्ड इन्डेक्स नहीं था मुकामनाकाल था उक्त प्रविष्टि कोई भी नहीं पाया				

मै यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपोरक्त कार्यो तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पति जो प्रसावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नही हुई है ।

1- इस प्रमाण में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तिताऐं है जो कि प्राथी द्वारा वर्णित सम्पति के विवरण से अभिन्न है । यदि निबंधन अभिलेखों में सम्पति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्राथी ने नही लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नही किया जायेगा ।

2- वाछिंत अन्वेषण व प्रमाण-पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है । फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण-पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नही है ।

[illegible] में से लेखपत्र यदि कोई हो जो प्रस्तुत हो गये है किन्त जिसका निबंधन हो गया है के सम्बन्ध मे भार

प्रभारी अभिलेखागार
का०उ०नि० II मथुरा

4
६